न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.

(1) पत्रावली संख्याः— 74 / 2015 / अपील

1. मोहरी पत्नी स्व0 पोखर
2. गिरधारी } पुत्रगण पोखर
3. बजरंग }
4. भंवरी } पुत्रियां पोखर
5. मन्जु }

समस्त जाति जाटान निवासीगण रामपुरा तहसील धोद जिला सीकर हाल आबाद सियाको की ढाणी तन अमरपुरा ग्राम पंचायत मुण्डवाड़ा तहसील धोद जिला सीकर

अपीलान्ट्स

बनाम

1. मोहनी पत्नी डालू
2. भागीरथ } पुत्रगण डालू समस्त जाति जाटान निवासीगण
3. गणपत } ग्राम रामपुरा तह0 धोद जिला सीकर
4. शिवपाल }
5. जीनकू पत्नी स्व0 केशर
6. नाथू } पुत्रगण केशर समस्त जाति जाटान निवासीगण
7. संवरा } ग्राम रामपुरा तहसील धोद जिला सीकर
8. झाबर }
9. अणची पत्नी सुल्तान जाति जाट निवासी रामपुरा तहसील धोद जिला सीकर

रेस्पोडेन्ट्स

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(2) पत्रावली संख्याः— 75 / 2015 / अपील

1. मोहरी पत्नी स्व0 पोखर
2. गिरधारी } पुत्रगण पोखर
3. बजरंग }
4. भंवरी } पुत्रियां पोखर
5. मन्जु }

समस्त जाति जाटान निवासीगण रामपुरा तहसील धोद जिला सीकर हाल आबाद सियाको की ढाणी तन अमरपुरा ग्राम पंचायत मुण्डवाड़ा तहसील धोद जिला सीकर

अपीलान्ट्स

बनाम

1. मोहनी पत्नी डालू
2. भागीरथ } पुत्रगण डालू समस्त जाति जाटान निवासीगण
3. गणपत } ग्राम रामपुरा तह0 धोद जिला सीकर
4. शिवपाल }
5. जीनकू पत्नी स्व0 केशर
6. नाथू } पुत्रगण केशर समस्त जाति जाटान निवासीगण
7. संवरा } ग्राम रामपुरा तहसील धोद जिला सीकर
8. झाबर }

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व सहायक भू प्रबन्धक अधिकारी सीकर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.06.1981 एवं नामांतकरण संख्या 130 दिनांक 28.04.1981 वाके ग्राम रामपुरा

वकील अपीलांट श्री सुरजभानसिंह
वकील रेस्पोडेंट श्री भगवतसिंह

निर्णय **दिनांकः–22.10.2019**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट संख्या 1 के पति एवं अपीलान्ट संख्या 2 लगायत 4 के पिता स्व0 पोखर राम के पिता स्व0 सेवाराम की खातेदारी की पैतृक कृषि भूमि खसरा नम्बर 1208 रकबा 0.88 हैक्टर, खसरा नम्बर 1218 रकबा 0.87 हैक्टर, खसरा नम्बर 1211 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 1222 रकबा 1.37 हैक्टर, खसरा नम्बर 1223 रकबा 0.48 हैक्टर खसरा नम्बर 1239 रकबा 2.92 हैक्टर, खसरा नम्बर 1320 रकबा 1.67 हैक्टर कुल किता 7 कुल रकबा 8.20 हैक्टर तन ग्राम कासली व खसरा नम्बर 89 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा वर्तमान खसरा नम्बर 162 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा नम्बर 163 रकबा 0.44 हैक्टर, खसरा नम्बर 164 रकबा 0.91 हैक्टर तन ग्राम रामपुरा तहसील धोद जिला सीकर में हिस्सा 1/2 अवस्थित है। स्व0 पोखर राम भारतीय सेवा में था जहां वह सन् 1979 मे शहीद हो गया। स्व0 सेवाराम के क्रमश तीन पुत्र थे केशर, डालू व पोखर। जिनमें से केशर व डालू की भी मृत्यू हो चुकी है। डालू के वारिसान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 व केशर के वारिसान रेस्पोडेन्ट संख्या 5 लगायत 8 है व दोनो के वारिसान अपीलान्ट है जब खातेदार सेवा पुत्र हुक्मा की मृत्यु हुई तो राजस्व अभियान के दौरान दिनांक 30.06.1981 व 28.04.1981 को हल्का पटवारी सरपंच तहसीलदार व सहायक प्रबन्धक ने मिलकर सेवा पुत्र हुक्मा की विरासत का नामान्तकरण डालू पुत्र सेवा का 1/2 हिस्सा व नाथू झाबर सावरा पिता केशर जिनकू बेवा केशर के नाम 1/2 हिस्से का नामान्तकरण भरा गया व पोखर को अवैध रूप से वंचित कर दिया गया। स्व0 सेवा पुत्र हुक्मा का सजरा खानदान निम्न प्रकार है:–

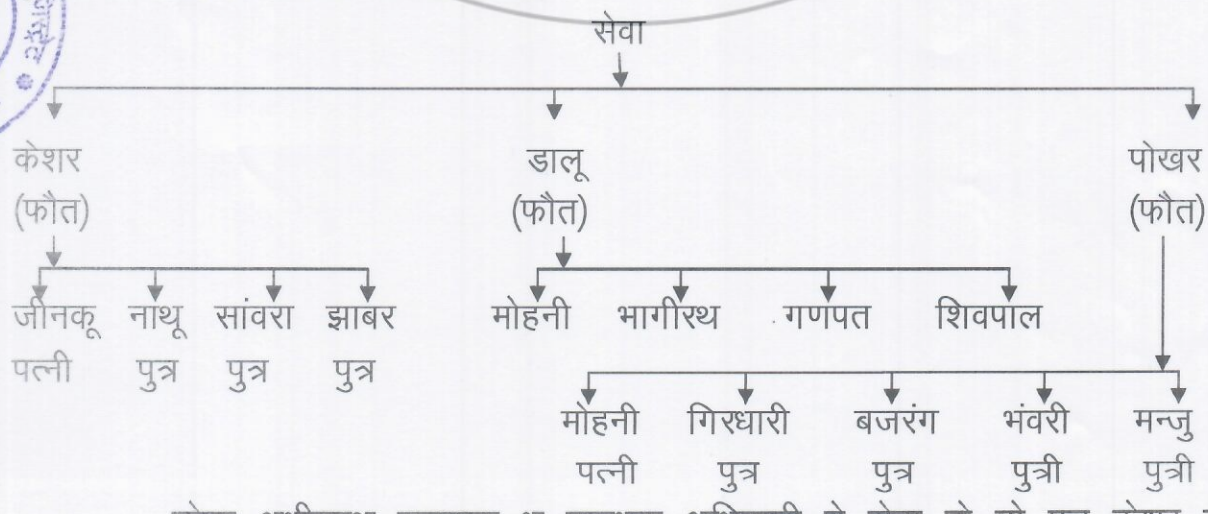

योग्य अधीनस्थ सहायक भू प्रबन्धक अधिकारी ने सेवा के दो पुत्र केशर व पोखर को अवैध रूप से विरासत से वंचित कर अकेले डालूराम के पक्ष में नामान्तकरण तस्दीक कर दिया। उस समय की मतदाता सूची में सेवाराम के परिवार के साथ सेवाराम उसके पुत्र केशर व डालू के साथ है अपीलान्ट संख्या 1 का नाम भी दर्ज था व राशन कार्ड में अपीलान्ट का नाम दर्ज था इन सबके बावजूद धोखा धडी कर इन सब सरकारी दस्तावेजो की अनदेखी कर योग्य अधीनस्थ सहायक भू प्रबन्धक अधिकारी ने गलत निर्णय

Web Copy - Not Official

पारित किया है। नाथू व सावरा पुत्रगण केशर ने रेस्पोडेन्ट ने खसरा नम्बर 1320 रकबा 1.67 हैक्टर ग्राम कांसली तहसील धोद जिला सीकर में अवस्थित है जिसमें से अपना 2/8 हिस्सा रेस्पोडेन्ट संख्या 9 को विक्रय कर दिया। इसलिए उसे पक्षकार बनाया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर योग्य अधीनस्थ सहायक भू प्रबन्धक अधिकारी सीकर का निर्णय जैर अपील निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट के पक्ष में स्व0 सेवाराम की विरासत में 1/3 हिस्से का नामान्तकरण भरे जाने का आदेश प्रदान करें।

हस्तगत प्रकरण एक समान होने के कारण दोनों प्रकरण एक ही निर्णय से निर्णित किये जा रहे है। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात में अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपील के संलग्न प्रस्तुत नामांतकरण की प्रति का अवलोकन किया गया। अपील के सलंग्न प्रस्तुत नामांतकरण संख्या 130 ग्राम रामपुरा राजस्व अभियान के दौरान तहसीलदार के आदेश की पालना में खातेदार सेवा पुत्र हुक्मा व डाला पुत्र लच्छा जाति जाट सा.देह से मूर्ति मन्दिर श्री जानकी नारायणजी वाके सीकर जरिये डालु पुत्र सेवा व डाला पुत्र लच्छा जाति जाट सा.देह के नाम से तस्दीक किया हुआ है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में खातेदार सेवा की विरासत से उनके वारिस पोखर व केशर को खातेदारी से वंचित रखने बाबत निवेदन किया है। चूंकि अपीलाधीन नामांतकरण मूर्ति मन्दिर श्री जानकी नारायणजी वाके सीकर जरिये डालु पुत्र सेवा व डाला पुत्र लच्छा जाति जाट सा.देह के नाम से तस्दीक किया हुआ। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में अंकित तथ्य एवं अपीलाधीन नामांतकरण के तथ्य एक समान प्रतीत नहीं होते है एवं अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में अंकित तथ्यों बाबत अपीलाधीन नामांतकरण में कोई अंकन नहीं है। अतः अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में अंकित तथ्य एवं अपीलाधीन नामांतकरण की परिस्थितियां भिन्न होने के कारण अपील अपीलांट आधारहीन व सारहीन होने से खारिज की जाती हैं। निर्णय की एक प्रति पत्रावली संख्या 75/2015 में भी रखी जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/10/19

(जय प्रकाश)
अति0 जिला कलक्टर, सीकर

अति. जिला कलक्टर, सीकर
अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट सीकर
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official